

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं0 6(1)चिस्वा/2/2023/ई-02050

जयपुर,दिनांक:

निदेशक (जन.स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज.जयपुर।

**विषय:-** डॉ. सलमा कादरी , प्रमुख विशेषज्ञ (ईएनटी) (जन्मतिथि 30.06.1961) उप जिला चिकित्सालय, बाली जिला पाली को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है डॉ. सलमा कादरी , प्रमुख विशेषज्ञ (ईएनटी) (जन्मतिथि 30.06.1961) उप जिला चिकित्सालय, बाली जिला पाली जो राज्य सेवा से दिनांक 30.06.2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

डॉ. कादरी के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ. कादरी के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है, भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(निमिषा गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर।
2. प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पाली।
3. डॉ. सलमा कादरी, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref  
5013454



Digitally signed by Nimisha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.11.03 17:28:48 IST  
Reason: Approved

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/एस- 1460/2023/ 375

दिनांक : 10.11.23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, बाली जिला-पाली को भेजकर लेख है कि डॉ. सलमा कादरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, के विरुद्ध निदेशालय स्तर पर विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं है तथा अपने स्तर से भी विभागीय जाँच बकाया नहीं होना सुनिश्चित करावें।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/डीपीसी (राजपत्रित), मुख्यालय।
7. डॉ. सलमा कादरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, बाली जिला-पाली।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

न. सर्वर रूप प्रसारण, वेबसाइट पर upload करने हेतु।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

5040154

Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR  
Designation: Director  
Date :09-11-2023 04:04:28